देवकी बाई बनाम सरकार

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 2020/00195

16.07.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी ने धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी का वाद उपखण्ड अधिकारी सांगोद ने दिनांक 15.09.1990 को खारिज किया था जिसकी अप्रसन्नता से अपील पेश की गई थी जिसमें उठाई गई आपत्तियों, उपलब्ध दस्तावेजों एवं गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना विधि–विरूद्ध रूप से इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.11.2020 को अपील खारिज की गई है । खसरा नम्बर 92 की भूमि अपीलान्ट को आवंटित हुई है और इंतकाल संख्या 83 से अपीलान्ट को गैर खातेदारी दी गई थी । सेटलमेंट ने प्रार्थिया के नाम वाली भूमि के खसरा नम्बर 241 के स्थान पर 242 दर्ज कर दिये । इसके इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया गया था जिसको गलत रूप से घोषणा का दावा माना है । प्रार्थिया को आवंटन के उपरान्त जहॉ कब्जा दिया गया था वही पर प्रार्थिया काबिज है । प्रतिवादी के द्वारा वादी के कथन का खण्डन नहीं किया गया है फिर भी अपील खारिज की गई है । अपीलान्ट ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से दखलनामा की प्रमाणित प्रति और दखलनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शे की प्रमाणित प्रति पेश की है इसमें अपीलान्ट को जिस स्थान पर कब्जा दिया गया है उस पर नये खसरा नम्बर 241 ही बने है और प्रार्थिया का यहीं पर कब्जा है । प्रार्थिया सेटलमेंट की त्रुटिवश उनके खाते में दर्ज खसरा नम्बर 242 के स्थान पर 241 खसरा नम्बर को दुरूस्त कराना चाहते हैं । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि इस न्यायालय के द्वारा समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर अपील खारिज की गई है । रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । ऐसी त्रुटि जो **Apparent on the face of record** हो उसी को दुरूस्त किया जा सकता है । यदि प्रार्थी इस निर्णय से अप्रसन्न हैं तो उन्हें इसकी अपील करनी चाहिए । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थिया के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं जिनके आधार पर रिव्यू के माध्यम से पूर्व में पारित निर्णय को नहीं बदला जा सकता क्योंकि रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 47 सीपीसी के अनुसार रिव्यू उसी स्थिति में किया जा सकता है जब **Apparent on the face of record** कोई त्रुटि पाये जावे । रिव्यू के माध्यम से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती केवल **Apparent**

on the face of record कोई त्रुटि हो तो ही उसे दुरूस्त किया जा सकता है । रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन व विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता । तद्नुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2020 के विरूद्ध प्रार्थी माननीय राजस्व मण्डल में अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा